Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः पॅलाट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्सः 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Mukesh Kumar (2128)

प्रेषक,

महानिदेशक, माध्यामिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रेषिति,

Mukesh Kumar
S/o Murari Lal Sharma
415, Sector-2, Block-B, Vasudandra
Gaziabad, U.P
Roll No: 2128

यादी क्रमांक 1/4–2012–आई0ई0डी–एस0एस(1)
दिनांक 23.10.2012

विषयः– **संसाधन अध्यापक एम0आर0 विशेष अध्यापक के पद पर चयन बारें।**

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको उक्त पद के लिये एक वर्ष के अनुबंध आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0आ0सं0व0मा0वि0 बिलासपुर (यमुनानगर) {175} खण्ड बिलासपुर जिला यमुनानगर में कार्य का निम्नानुसार प्रस्ताव दिया जाता है।

1 अनुबंध आधार पर कार्य की अवधि में आपको मासिक रुपये 18000/– या रुपये 15000/– का पारिश्रमिक दिनांक 05.12.2011 के विज्ञापन के आधार पर देय होगा।

2 आपकी कार्य सेवाएं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा सुनवाई का एक अवसर देते हुये 15 दिन के नोटिस के साथ या एक माह के पारिश्रमिक के साथ बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहें तो आपको कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, के खाते में जमा करवाना होगा।

3 यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य से

तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

4 आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक निर्धारित शपथ पत्र इस कार्यालय में देना होगा।

5 आपको अपनी अन्तिम शैक्षणिक सस्थान अथवा जहॉ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियो से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र इस कार्यलय मे प्रस्तुत करने होंगे।

6 आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

7 आपको जिला सिविल सर्जन, यमुनानगर से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थिति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

8 आपको कार्य पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

9 आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जा सकता है ।

10 आपको विभाग के माध्यम से दिये व सौंपे जाने वाले अन्य 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा। **इन 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची साथ में संलग्न की जाती हैं।**

11 आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

12 पुरूष अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगें तथा महिला अभ्यर्थी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।

13 आप अपना आकस्मिक अवकाश कार्यालय को अग्रिम आवेदन सम्मिलित करवाकर स्वीकृत करा सकते हैं। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराना होगा।

14 आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।

15 यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांघन विकास मन्त्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।

16 आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी /निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेगे।

17 आपकी नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यह नियुक्ति माननीय पजांब एवं हरियाणा, उच्च न्यायलय में कोई भी लम्बित याचिका और भविष्य में नियुक्ति के विरुद्व दायर याचिक के अन्तिम निर्णय अनुसार मान्य होगी।

18 आपका पद संस्थागत काडर होने के कारण स्थानान्तरिंत नहीं होगा।

यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तो को स्वीकार करते हों तो आप उपरोक्त पद की ज्वाईनिंग उपस्थिति पत्र मिलने के पंद्रह दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

अरूण कुमार गुप्ता
महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

पृ0क्रमांक–1/4–2012–आई0ई0डी–एस0एस(1) **दिनांक, पंचकुला 23.10.2012**

1 सिविल सर्जन, यमुनानगर को अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण के लिये।
2 जिला शिक्षा अधिकारी यमुनानगर
3 प्राधानचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0आ0सं0व0मा0वि0 बिलासपुर (यमुनानगर) {175}
4 सयोजक, समावेशित शिक्षा, कार्यालय महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु।

उप–निदेशक समावेशित शिक्षा
कृतेः महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला